न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्र दीक्षित

निगरानी फौजदारी संख्या- 29/2024

राहुल पुत्र रामशरण आयु 37 वर्ष निवासी गोविन्दपुरी सोड़ाला, जयपुर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा हाल उपखण्ड अधिकारी, टोंक।

-निगरानीकार

विरूद्ध

1. मंदिर श्री चौथमाता ट्रस्ट, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर जरिये मंत्री श्रीदास सिंह राजावत पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह निवासी 66, बाल मंदिर कॉलोनी, सवाईमाधोपुर।

2. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांकित 13.03.2024
बमुकदमा परिवाद संख्या 09/2021, श्रीदास सिंह बनाम राहुल व अन्य
श्रीमती माध्वी गोस्वामी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा
जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः

1. श्री रविशंकर सैनी, विद्वान अधिवक्ता, निगरानीकार।
2. श्री श्रीदास सिंह, विद्वान अधिवक्ता, गैरनिगरानीकार संख्या 1
3. श्री जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक, गैरनिगरनीकार संख्या 2

निर्णय

दिनांकः 09.06.2026

1. निगरानीकार राहुल द्वारा यह निगरानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा परिवाद संख्या 09/2021, श्रीदास सिंह बनाम राहुल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानाधीन आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकार राहुल के विरूद्ध अपराध धारा- 166, 167, 147, 427, 451, 454, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी परिवाद के रूप में दर्ज कर निगरनीकार को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध भी प्रसंज्ञान लिया गया है।

3. उक्त निगरानी से सम्बन्धित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्रीदास सिंह ने राहुल व अन्य के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया जिसे विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा को अंतरित किया गया। उक्त परिवाद के तथ्यों के अनुसार चौथ का बरवाड़ा में श्री चौथमाता मंदिर स्थित है जिसकी धर्मशालाएं व अन्य सम्पत्तियां स्थित है एवं मंदिर का नियमानुसार सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत सार्वजनिक प्रन्यास (ट्रस्ट) बना हुआ है जिसका पंजीयन कमांक 97/1997, दिनांक 30.06.1997 है के नाम से पंजीकृत है। परिवादी मंदिर ट्रस्ट का मंत्री होने से ट्रस्ट के संविधान के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत है। परिवाद में अंकित मुल्जिमान संख्या 01 लगायत 05 ने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर बिना कानूनी कार्यवाही किए व्यक्तिगत द्वेषता व दुर्भावना से मंदिर ट्रस्ट को क्षति कारित की। दिनांक 08.03.2019 को दिन के करीब तीन बजे पांचों मुल्जिमान ने एकराय होकर आपराधिक षडयंत्र से ट्रस्ट की धर्मशाला की भोजनशाला की दीवारों एवं सीसी रोड़ को तोड़ने की योजना को मुर्त रूप देने के लिए मुल्जिम संख्या 02, 03 व 05 को मुल्जिम संख्या 06 की जेसीबी मशीन लेकर ट्रस्ट की धर्मशाला स्थित भोजनशाला पर भेजा। मौके पर जाकर मुल्जिम संख्या 02, 03, 05 व 06 ने जेसीबी चलाकर एक वर्ष पूर्व ट्रस्ट द्वारा बनाए गए सीसी रोड़ को 27 फुट लंबाई व 22 फीट चौड़ाई में तोड़ दिया। उसके पश्चात भोजनशाला की दीवार 70 फीट ऊंची व 10 फुट लंबी, दूसरी दीवार 94 फुट लंबी व 10 फुट ऊंची को तोड़ दिया जो ट्रस्ट द्वारा 10 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई गई थी। सीसीरोड एवं भोजनशाला की दीवार तोड़ते ट्रस्ट के सुपरवाईजर मोहन नागर, ट्रस्ट सदस्य सुरेन्द्र नागर, ट्रस्ट कर्मचारी आशाराम गुर्जर ने देखा तथा तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी व फोटो ट्रस्ट के कर्मचारी संजय नागर ने उसके मोबाइल में ली। मुल्जिम संख्या 01 चौथ का बरवाड़ा में उपजिला कलेक्टर थे जो दिनांक 04.11.2018 से ट्रस्ट की धर्मशाला के ए.सी. कमरा नंबर 21 में निवास कर रहे थे। दिनांक 03.03.2019 को ट्रस्ट मंडल के प्रस्ताव के अनुसार धर्मशाला के कमरे में एक या दो दिन तक निःशुल्क तथा एक माह तक आधा किराया एवं एक माह पश्चात पूरा किराया अदा करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उक्त प्रस्ताव के बारे में दिनांक 04.03.2019 को मुल्जिम संख्या 01 को सूचित किया गया जिससे वो नाराज हो गए और ट्रस्ट से द्वेषता रखने लग गए। इसी कारण अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मुल्जिमान द्वारा तोड़फोड़ की गयी। उक्त आपराधिक कृत्य में मुल्जिम संख्या 01 को मुल्जिम संख्या 02 लगायत 06 ने सक्रिय सहयोग दिया। मुल्जिमान द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति पर की गयी तोड़फोड़ से 4,18,813/- रूपये का नुकसान हुआ। धर्मशाला, भोजनशाला व सीसी रोड़ वाली उक्त भूमि श्री चौथ माताजी के स्वामित्व व कब्जे की होकर राजस्व रिकॉर्ड में आबादी मैला मैदान श्री चौथ माताजी दर्ज है। ट्रस्ट को चौथ माता के दर्शनार्थ आने वाली जनता व भक्तगणों द्वारा निर्माण हेतु रसीदों के जरिये चंदा व आर्थिक सहयोग दिया जाता है। जनता से प्राप्त उक्त धन राशि ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा की जाती है और उक्त लोक राशि से ट्रस्ट द्वारा निर्माण

कार्य करवाया जाता है और उसी राशि से ट्रस्ट द्वारा सीसी रोड़ व भोजनशाला की दीवारें निर्मित करवाई गई थी। उक्त प्रकार से 'तोडी' गयी सीसी रोड व भोजनशाला की दोनों दीवारें लोक सम्पत्ति थी।

4. परिवाद में यह भी अंकित किया कि ट्रस्ट द्वारा बनाई गयी भोजनशाला व धर्मशाला में जनता एवं भक्तगण निवास करते हैं। धर्मशाला की बिल्डिंग में एक माताजी का मंदिर बना हुआ है। धर्मशाला व भोजनशाला भक्तों के माताजी की पूजा करने, जागरण करने व अन्य धार्मिक कार्य करने के काम आती है। धर्मशाला में चौथ माताजी के चढ़ावे में आए जेवर आदि समस्त सामान रखा जाता है। मुल्जिमान ने आपराधिक कृत्य करने के उद्देश्य से भोजनशाला में प्रवेश कर तोड़फोड़ की है। मुल्जिम संख्या 01 लगायत 05 लोकसेवक हैं, जिन्होंने कानून की अवहेलना कर परिवादी को लाखों रूपयें का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तोड़फोड़ की है तथा गलत दस्तावेज बनाए हैं। इन्होंने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया, रंजिश के कारण आपराधिक कृत्य किया जिसमें नियमों की पालना नहीं की गयी। उक्त कृत्य ऑफिस ड्यूटी के दौरान नहीं किया गया बल्कि स्वैच्छाचारितापूर्वक दुर्भावना से किया गया है इसलिए धारा-197 दण्ड प्रक्रिया संहिता का संरक्षण इन्हें प्राप्त नहीं होने से राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी ने मुल्जिमान के आपराधिक कृत्य की जानकारी मिलने पर समस्त आवश्यक दस्तावेजात संकलित कर दिनांक 19. 03.2019 को एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजी परंतु उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मुल्जिमान का उक्त कृत्य धारा 147, 427, 166, 167, 451, 454, 120बी भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय है। इस्तगासे के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिवाद को धारा-156 (3) प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत थानाधिकारी चौथ का बरवाड़ा को भेजे जाने का निवेदन किया... इत्यादि।

5. विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं भिजवाया जाकर धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही हेतु नियत किया गया एवं धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी श्रीदास सिंह के बयान लेखबद्ध कर परिवादी की प्रार्थना पर उक्त परिवाद जांच हेतु थाना चौथ का बरवाड़ा को भिजवाया गया एवं बाद जांच नतीजा रिपोर्ट थाना चौथ का बरवाड़ा द्वारा न्यायालय में पेश की गयी। तदुपरांत विचारण न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 13.03.2024 पारित किया गया है।

6. बहस निगरानी सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार श्री रविशंकर सैनी एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र शर्मा ने समरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि चौथ माता मंदिर ट्रस्ट का भोजनशाला की भूमि पर कोई वैध स्वामित्व नहीं था। यह जमीन ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाड़ा की थी जो मेला के लिए दी गयी थी और ट्रस्ट द्वारा इस पर अतिक्रमण किया हुआ था इसलिए निगरानीकार जो वक्त घटना वहाँ उपखण्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत था, ने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उक्त अतिक्रमण

को हटाया है, अतः इन परिस्थितियों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के अनुरूप बिना अभियोजन स्वीकृति के यह आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि वर्ष 2018 में ही इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में नोटिस दे दिया था और इस जमीन पर विकास अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया हुआ था। उनका यह भी तर्क है कि निगरानीकार राहुल सैनी तो घटना के समय घटना स्थल पर था ही नहीं, अतः उसके विरूद्ध आपराधिक अतिचार सम्बन्धी अपराध बनता ही नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण में धारा 3 PDPP Act लागू नहीं होगी क्योंकि सम्पत्ति सरकारी नहीं थी बल्कि ट्रस्ट की थी। अन्त में उन्होंने निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गयाः-

(1) 2025(1) CJ(Cri.)(Raj.) 520
Rakesh Mandola Vs State of Rajasthan

(2) 2018(2) CJ(Cri.)(Raj.) 995
Yogesh Acharya Vs State of Rajasthan

(3) 2022(1) CJ(Cri.)(Raj.) 152
Sandeep & Ors. Vs State of Rajasthan & Anr.

(4) 2022(1) CJ(Cri.)(SC) 165
Shantaben Bhurabhui Bhuriya Vs Anand Athabhai

(5) 1964 AIR 269
Nagraj Vs State of Maisure

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1193/2012 डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2012

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Adityanath Das Vs The Union of India में पारित आदेश दिनांक 21.01.2019

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sankaran Moitra Vs Sadhna Das & Anr. में दिनांक 24.03.2006 को पारित आदेश।

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suresh Kumar Vs Pandey Ajay & Ors में पारित आदेश दिनांक 27.11.1997

7. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीदास सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया है कि स्वीकृत रूप से विवादित जमीन ग्राम पंचायत की है जो चौथ माता मंदिर ट्रस्ट को दी हुई है इसलिए यह जमीन PDPP Act 1984 की धारा 2(b) में परिभाषित "लोक सम्पत्ति" के अन्तर्गत आती है। उनका यह भी तर्क है कि इस सम्पत्ति पर जो भी निर्माण ट्रस्ट द्वारा करवाया गया वह ग्राम पंचायत की

स्वीकृति से करवाया गया और स्वयं ग्राम पंचायत ने माना है कि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निगरानीकार की ओर से ही प्रस्तुत पत्र दिनांक 23.02.2012 से स्पष्ट है कि इस भूमि पर कोई रिसीवर था ही नहीं तथा वर्ष 2018 में दिया गया नोटिस विवादित स्थल से सम्बन्धित ही नहीं है। उनका तर्क है कि विवादित स्थल पर यदि अतिक्रमण भी था तो भी निगरानीकार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना की गई कार्यवाही को कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उनका तर्क है कि निगरानीकार की यह समस्त कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी क्योंकि वह 07 माह से ट्रस्ट के कमरे में निःशुल्क रह रहा था और उसके द्वारा मात्र 03 दिन का किराया अदा किया गया था और जब ट्रस्ट ने निगरानीकार से किराये की माँग की तो निगरानीकार ने गुस्सा होकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह कार्यवाही की। उनका तर्क है कि भले ही तोड़फोड़ की कार्यवाही करते समय मौके पर निगरानीकार नहीं था परन्तु पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इस तोड़फोड़ की सम्पूर्ण कार्यवाही के षड़यन्त्र में मुख्य सूत्रधार निगरानीकार ही था इसलिए उसके विरूद्ध अन्य धाराओं के साथ धारा- 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान भी लिया गया है और इसके लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अन्त में निगरानी याचिका आधारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः-

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (CRL) No. 8656-8657 of 2019 HEAD CONSTABLE RAJ KUMAR VS STATE OF PUNJAB & ANR में पारित आदेश दिनांक 29.04.2025

(2) 2018(2) RLW 1353(Raj.)
Sohan lal Vs State of Rajasthan

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Criminal Appeal No. 256/2024 Shadakshari Vs State of Karnataka & Anr. में पारित आदेश दिनांक 17.01.2024

(4) 2023(3) RLW 2512 (SC)
S.M. Mansoori Vs Surekha Parmer & Ors.

8. उभय पक्ष को सुनकर निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत है कि निगरानीकार उप खण्ड अधिकारी के रूप में पदस्थापित रहते हुए ट्रस्ट के कमरा संख्या 21 में लगातार करीब 07 माह रहे थे तथा कमरे के किराये के रूप में मात्र 03 दिन के किराये का भुगतान किया था।

9. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित जमीन ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाड़ा की थी और वह चौथ माता मंदिर ट्रस्ट को मेला आयोजन आदि के लिए दी हुई थी। स्पष्टतः यह सम्पत्ति ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाड़ा

के परोक्ष कब्जे की होने से P.D.P.P. Act 1984 की धारा 2(b)(iii) के अन्तर्गत "लोक सम्पत्ति" की परिधि में आयेगी।

10. यह निगरानी याचिका विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा के आदेश दिनांक 13.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिस आदेश द्वारा उन्होंने निगरानीकार व अन्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167, 147, 427, 451, 454, 120बी व धारा-3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रसंज्ञान लेते हुए निगरानीकार व अन्य को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया था। इस आदेश दिनांक 13.03.2024 में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आये तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण किया है। जिस नोटिस दिनांक 17.09.2018 को विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिया जाना कहा है, पत्रावली में संलग्न उक्त नोटिस से स्पष्ट है कि यह नोटिस इस प्रकरण में विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं है और इसकी पुष्टि पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-202 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट से भी होती है जिसके मद संख्या 13 में स्पष्ट अंकित है कि विवादित निर्माण व सड़क आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। इस जांच रिपोर्ट और उभय पक्ष के मध्य स्वीकृत तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि निगरानीकार राहुल सैनी ट्रस्ट के कमरा नम्बर 21 में लगातार 07 माह से निःशुल्क रह रहा था, जब ट्रस्ट ने दिनांक 03.03.2019 को किराये के भुगतान के लिए प्रस्ताव पास किया तो दिनांक 08.03.2019 को यह तोड़फोड़ की कार्यवाही अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गयी जिसके लिए किसी विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि यह समस्त कार्यवाही निगरानीकार के निर्देश पर किराया भुगतान के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव दिनांक 03.03.2019 से नाराज होकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गयी। ऐसी दुर्भावनापूर्ण व अविधिपूर्ण कार्यवाही के लिए मेरी विनम्र राय में निगरानीकार राहुल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार व विद्वान लोक अभियोजक ने अनेक न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं जिनको पूर्ण सम्मान देते हुए मेरी विनम्र राय में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्यों में कोई समानता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर आई सामग्री से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि निगरानीकार ने गैरनिगरानीकार संख्या 1 द्वारा पारित किराया वसूली प्रस्ताव से नाराज होकर अविधिपूर्ण तरीके से तोड़फोड़ की कार्यवाही की है। यह सही है कि तोड़फोड़ की कार्यवाही के वक्त निगरानीकार घटना स्थल पर नहीं था परन्तु पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह समस्त कार्यवाही उसके निर्देश पर की गयी। स्पष्टतः वह इस कार्यवाही से सम्बन्धित आपराधिक षड़यन्त्र में शामिल था तथा विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **2018(2) RLW 1353(Raj.) Sohan lal Vs State of Rajasthan** के अनुसार लोक सेवक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी के अन्तर्गत अभियोजन के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है। निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत

पत्र दिनांक 23.02.2012 से यह भी दर्शित होता है कि विवादित सम्पत्ति किसी रिसीवर के आधिपत्य में नहीं थी।

11. अतः पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य पर पूर्ण मनन करने व उसके उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त मेरी विनम्र राय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निगरानाधीन आदेश दिनांक 13.03.2024 पारित किया गया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विधिक व उचित विश्लेषण पर आधारित होने से उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी याचिका आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

12. अतः निगरानीकार राहुल की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी निगरानी अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश,
सवाईमाधोपुर

13. आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश,
सवाईमाधोपुर